

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर - 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल : aao2.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:-एफ3(ख)(1)/अलेसे-II/ 1092

दिनांक:- 6/2/2020

कार्यालय आदेश

संयुक्त शासन सचिव वित्त, (वित्त आयोग एवं आर्थिक मामलात डिविजन) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 04.02.2020 की निरन्तरता में पन्द्रहवें वित्त आयोग, जयपुर में सेकिण्डमेन्ट बेसिस पर कार्य करने हेतु निम्नांकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II को अग्रिम आदेशों तक सेकिण्डमेन्ट बेसिस के आधार पर तुरन्त प्रभाव से दिनांक 31.10.2020 तक नियुक्त किया जाता है :-

क्र.सं.	लिक नम्बर	नाम कार्मिक सर्वश्री	वर्तमान पदस्थापन कार्यालय	नियुक्त कार्यालय का नाम (सेकिण्डमेन्ट बेसिस पर दिनांक 31.10.2020 तक)
1.	5982	मोहन लाल, सलेअ-II	आयुक्त, परिवहन विभाग, जयपुर	संयुक्त शासन सचिव वित्त, (वित्त आयोग एवं आर्थिक मामलात डिविजन) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
2.	8766	मुकेश कुमार विजय, सलेअ-II	अधीक्षण अभियन्ता, (पीएमयू एवं राजमिप), जल संसाधन विभाग, जयपुर	संयुक्त शासन सचिव वित्त, (वित्त आयोग एवं आर्थिक मामलात डिविजन) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर


(मुकुन्द सोहनी)
निदेशक

क्रमांक:-एफ3(ख)(1)/अलेसे-II/ 1092

दिनांक:- 6/2/2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

- 1 संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर ।
- 2 संयुक्त शासन सचिव वित्त, (वित्त आयोग एवं आर्थिक मामलात डिविजन) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक 2017 दिनांक 04.02.2020 के क्रम में ।
- 3 वित्तीय सलाहकार, परिवहन विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि श्री मोहन लाल, सलेअ-II को अविलम्ब कार्यमुक्त करने का श्रम करावें ।
- 4 अधीक्षण अभियन्ता, (पीएमयू एवं राजमिप), जल संसाधन विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि श्री मुकेश कुमार विजय, सलेअ-II को अविलम्ब कार्यमुक्त करने का श्रम करावें ।
- 5 श्री मोहन लाल, सलेअ-II कार्यालय आयुक्त, परिवहन विभाग, जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे अविलम्ब कार्यमुक्त हों ।
- 6 श्री मुकेश कुमार विजय, सलेअ-II कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, (पीएमयू एवं राजमिप), जल संसाधन विभाग, जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे अविलम्ब कार्यमुक्त हों ।
- 6 उपनिदेशक, (एसीपी) को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु ।
- 7 अतिरिक्त सचिव, निदेशक महोदय ।
- 8 रक्षित पत्रावली ।


(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II)